



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: aff@shekhauni.ac.in

क्रमांक: 43031

दिनांक: 15/10/2026

कार्यालय आदेश

सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत दिनांक 08.10.2026 को आयोजित निरीक्षण मण्डल (BOI) की बैठक में एजेण्डा निर्णय संख्या 3 (iii) की अनुपालना में निम्नलिखित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं:-

1. विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित ऐसे महाविद्यालय, जिन्हें शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, उन्हें **अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में संबंधित पाठ्यक्रम में संबद्धता प्रदान नहीं की जा सकेगी।**
2. यदि संबंधित महाविद्यालय निर्धारित समयावधि में अनापत्ति प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो ऐसे सम्बद्धता रहित महाविद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों के **परीक्षा आवेदन पत्र (सत्र 2026-27) स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में भरवाए जाने की अनुमति दी जा सकेगी।**
3. यदि संबंधित महाविद्यालय निर्धारित परीक्षा तिथि से कम से कम 15 दिवस पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करता है, तो संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रति विद्यार्थी रुपये 200/- शुल्क जमा करवाए जाने उपरांत विद्यार्थियों को नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी।

उपर्युक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

कुलसचिव

दिनांक : 15/10/2026

क्रमांक: प. 9 () सम्बद्धता 2026-27/ 43032

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, कुलगुरु सचिवालय, प. दी. द. उ. शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
2. परीक्षा नियंत्रक, प. दी. द. उ. शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
3. उप कुलसचिव(शैक्षणिक), प. दी. द. उ. शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
4. सचिव/प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय, जिला सीकर एवं झुंझुनू।
5. विश्वविद्यालय वेबसाईट प्रभारी - उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
6. रक्षित पत्रावली।

उप कुलसचिव(शैक्षणिक)